फाइल सं. ए.12018/48/2019-लेप
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीसीडी अनुभाग)

विषय -केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टू, तमिलनाडू में निजी सचिव समूह 'ख' के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग के दिंनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टू में निजी सचिव समूह 'ख' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियों/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 753-क, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते है। baidyanath.prasad@nic.in

(बैद्यनाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061510

नई दिल्ली
दिनांक 6-1-2020

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2019

सा.का.नि.................. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु (वरिष्ठ निजी सचिव) भर्ती नियमावली, 1992 का, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, में निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, निजी सचिव (समूह-'ख' पद) भर्ती नियम, 2019 होगा।
   (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता**- वह व्यक्ति-
   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, या
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केंद्रीय सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
निजी सचिव	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सरकार सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, मंत्रालयी	वेतन मैट्रिक्स (44,900-142400रु.) में स्तर-7	चयन पद	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं	लागू नहीं।	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति: ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स (35400-112100) में स्तर 6 में आशुलिपिक ग्रेड-I अथवा वेतन मैट्रिक्स (35400-112100) में स्तर 6 में आशुलिपिक ग्रेड-I और II में 6 वर्ष की संयुक्त सेवा। टिप्पण: जहां उन कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति किए जाने के लिए विचार किया गया है जिन्होंने अपनी अर्हता अथवा पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, उनके वरिष्ठ अधिकारियों को भी उनके कनिष्ठ अधिकारियों के साथ जो ऐसी अर्हता और पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर चुके हैं पदोन्नत किए जाने पर विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हता अथवा पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हता सेवा अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से कम न हो तथा अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु अपनी परीविक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण हेतु) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- 1. उप महानिदेशक (कुष्ठ रोग), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष 2. निदेशक, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान - सदस्य 3. उप-निदेशक/सहायक निदेशक, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान - सदस्य	भर्ती संबंधी नियमावली के प्रावधानों में किसी भी छूट अथवा संशोधन हेतु सम्मिलित सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

प्रतिनियुक्ति:- वे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आशुलिपिक के पद पर पदस्थ हैं: जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर किसी समान पद पर पदस्थ हैं; अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में आशुलिपिक संवर्ग-I; अथवा वेतन मैट्रिक्स (35400-112100) में स्तर 6 में आशुलिपिक ग्रेड-I और II में 6 वर्ष की संयुक्त सेवा। फीडर श्रेणी वाले विभागीय अधिकारी जो सीधी पदोन्नति की पंक्ति में है, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होगें। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्रीय सरकार के उसी संगठन अथवा किसी अन्य संगठन अथवा किसी विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य वाह्य संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि को सम्मिलित करते हुए, सामान्य तौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक न हो। स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक न हो।		

फा.सं. ए.12018/48/2018-कुष्ठ
(बैद्यानाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार